

# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर

प्रकरण संख्या :-59/25

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा झालामण्ड, जोधपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री आशुतोष कुमार		<ul style="list-style-type: none"><li>• मुकेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश प्लॉट न. 23, लालालाजपत राय कॉलोनी, वार्ड न. 18, 5वीं रोड़, सरदारपुरा, जोधपुर</li><li>• मुमल पत्नी ओमप्रकाश प्लॉट न. 23, लालालाजपत राय कॉलोनी, वार्ड न. 18, 5वीं रोड़, सरदारपुरा, जोधपुर</li></ul>

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन  
और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति :-

आदेश दिनांक :-29.08.2025

1-संगीता मित्रा (घोष) अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)

आदेश

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण मुकेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश व अन्य के विरुद्ध पेश हुआ।

प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा अप्रार्थीगण को कुल राशि रूपये 12,90,000/-मोर्टगेज ऋणसुविधा उपलब्ध कराई गई तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण मुमल पत्नी ओमप्रकाश की जायदाद प्लॉट न. 105, खसरा न. 16/1, राजेन्द्र कॉलोनी झालामण्ड, जोधपुर जिसका क्षेत्रफल 104.16 वर्ग गज जिसके उत्तर में प्लॉट न. 102, दक्षिण में सड़क, पूर्व में प्लॉट न. 99 एवं पश्चिम में प्लॉट न. 75 आया हुआ, को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हार्कपेथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उवर्धित नोटिस जारी किये गये।



Signature valid  
Digitally signed by Collection & District  
Magistrate  
Date: 2025.08.29 14:38:30 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:  
17473124

अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 30.01.2025 तक 12,20,835/- भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थीपक्ष को सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 12,90,000/-मोर्टगेज ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 30.01.2025 तक 12,20,835/- वसूल किये जाने है। अप्रार्थीगण को नोटिस भी जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति /सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं किया है। "दी सिक्युराईटेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटीइन्ट्रेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीपक्ष द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप रखी गई अपनी उक्तजायदाद मुमल पत्नी ओमप्रकाश की जायदाद प्लॉट न. 105, खसरा न. 16/1, राजेन्द्र कॉलोनी झालामण्ड, जोधपुर जिसका क्षेत्रफल 104.16 वर्ग गज. जिसके उत्तर में प्लॉट न. 102, दक्षिण में सड़क, पूर्व में प्लॉट न. 99 एवं पश्चिम में प्लॉट न. 75 आया हुआ, का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित थानाधिकारी एवं प्रार्थी बैंक/कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।



आदेश आज दिनांक 29.08.2025 को सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

Signature valid

Digitally signed by Ganav Agrawal  
Designation: Collector & District  
Magistrate

Date: 2025.08.29 14:38:30 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No.:

17473124